(62)

जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार

बिहार सरकार

प्रथम तल, विद्युत भवन–2, बेली रोड, पटना–800 021, दूरभाष :+91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट : www.brlp.in

पत्रांक : BRLPS/Proj-H&N/1672/19/3888 Date: 16.03.2021

कार्यालय-आदेश

चमकी बुखार से बचाव के क्रियान्वयन से संबंधित दिशा-निर्देश

पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में 1-15 वर्ष बच्चों में चमकी बुखार के लक्षण मिलने शुरू हो गये हैं | समय रहते इस बीमारी से बचने हेतु सामुदायिक स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार का कार्य आवश्यक है | यह बीमारी अत्यंत घातक है और इससे मृत्यु तथा विकलांगता हो सकती है । जीविका से जुड़े परिवार भी इससे प्रभावित हो रहे हैं जिसके लिए जीविका द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाने की आवश्यकता हैं :-

(A) सामुदायिक संगठनों द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

(1) स्वयं सहायता समूह -

- 1-15 वर्ष के बच्चों वाले घरों की सूची निर्माण
- उन घरों में 1-15 वर्ष के बच्चों की सूची निर्माण
- SC/ST घरों की पहचान एवं सूची निर्माण
- खाद्य सुरक्षा निधि उपलब्ध कराने हेतु अत्यंत गरीब परिवार के टोला के (1-15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों वाले परिवारों) की पहचान
- जिन घरों में 1-15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे हों वे आपस में एक-दूसरे से निम्न प्रश्न करेंगी :-
  - क्या बच्चा रात में कहीं भूखा तो नहीं सोया ?
  - क्या बच्चा ने आज कुछ मीठा खाया है ?
  - क्या बच्चे को बुखार है ?
  - बच्चा धूप में तो नहीं खेल रहा है ?

इन बिंदुओं के संदर्भ में बच्चों को रात्रि 3 बजे से प्रातः 8 बजे तक विशेष ध्यान रखना है |

(2) ग्राम संगठन -

- स्वयं सहायता समूह से प्राप्त सूची के अनुसार खाद्यान्न एवं अतिरिक्त खाद्य (गुड़, चीनी, ग्लूकोज, चूड़ा, ORS) की खरीदारी एवं वितरण |
- अत्यंत गरीब परिवारों के टोलों की पहचान कर उनकी समेकित सूची बनाना एवं उपलब्ध निधि से सहयोग प्रदान करना
- CM द्वारा चमकी बुखार के लिए की जाने वाली क्रियाकलापों का अनुश्रवण करना तथा उनके द्वारा समूहों में या सदस्यों के घर पर जाकर सन्देश देना |
- आपातकालीन स्थिति में तत्काल यात्रा हेतु एम्बुलेंस, सरकारी वाहनों एवं स्थानीय वाहन मालिकों की सूची मोबाइल नंबर के साथ तैयार करना |

(3) संकुल संघ -

- समूह और ग्राम संगठन स्तर पर चमकी बुखार के लिए निर्धारित गतिविधियों का अनुश्रवण एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करना तथा समय-समय पर BPIU एवं संबंधित विभागों से भी आवश्यक सहयोग लेना।
- सामुदायिक संगठनों के कैडर जो चमकी बुखार के लिए समुदाय में निर्धारित गतिविधियां संपादित कर रहे है, उनके गतिविधियों का अनुश्रवण एवं समीक्षा करना।

(B) <u>जीविका कैडरों द्वारा किये जाने वाले कार्य :-</u>

(1) CM के कार्य :-

- प्रत्येक समूह के सहयोग से 1-15 वर्ष के बच्चों के घरों एवं इस उम्र वर्ग के बच्चों की सूची मोबाइल नंबर के साथ तैयार करना और ग्राम संगठन को उपलब्ध करवाना।
- अत्यंत गरीब परिवारों और SC/ST घरों की पहचान कर सूची बनाकर ग्राम संगठन को उपलब्ध करवाना।
- CM द्वारा चिन्हित घरों (1-15 वर्ष) में गृह भ्रमण करना और खाद्य सामग्रियों की खरीदारी एवं वितरण में भी सहयोग करना।
- चमकी बुखार के बचाव से संबंधित सुचना, शिक्षा और प्रसार (IEC) सामग्रियों यथा – लीफलेट (One pager) से समूह को प्रशिक्षण, विडियो (फ्लिप चार्ट का) को पीको प्रोजेक्टर / स्मार्टफ़ोन से प्रसार, ऑडियो (फ्लिप चार्ट का) एवं मोबाइल वाणी के संदेश इत्यादि के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को जागरूक करना।

नोट:- इस कार्य हेतु अप्रैल 2021 से जुलाई 2021 तक चयनित प्रखंडों में चमकी बुखार पर कार्य कर रही CM को रु० 50/- प्रतिदिन की दर से प्रत्येक माह में 20 दिनों के कार्य हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि अधिक्तम (रु० 1000) देय होगी ।

(2) CNRP के कार्य :-

- सभी प्रकार के लक्षित घरों की सूची बनवाने में CM को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- CM और ग्राम संगठन की स्वास्थ्य उप-समिति के साथ लक्षित घरों का भ्रमण करना।

नोट:- इस कार्य हेतु अप्रैल 2021 से जुलाई 2021 तक प्रत्येक CNRP को रु० 160/- प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त 7 कार्य दिवस तक अधिकतम (रु०1120/-) अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देय होगी ।

(3) MRP-HNS के कार्य :-

- संबंधित CLF अंतर्गत चमकी बुखार से संबंधित सभी गतिविधियों का अनुश्रवण करना और आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- चमकी बुखार से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन तैयार करने में CLF को सहयोग करना और BPIU को प्रेषित करना।

(C) BPIU स्तर पर किये जाने वाले कार्य :-

- सभी जीविका कर्मी एवं संबंधित कैडर (CM, HNS-MRP एवं CNRP) के लिए प्रखंड स्तर पर चमकी बुखार पर एक दिवसीय गैर आवासीय उन्मुखीकरण करना।

- संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर पीड़ित परिवारों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना जैसे- अस्पताल एवं ऐम्बुलेंस (सरकारी और निजी) कर्मी का नाम और मोबाइल नंबर की सूची सभी ग्राम संगठनों को उपलब्ध कराना |
- AES के लिए जीविका और जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी IEC सामग्री जैसे - लीफलेट (One pager), विडियो (फ्लिप चार्ट का), ऑडियो (फ्लिप चार्ट का) एवं मोबाइल वाणी के संदेश को ससमय सामुदायिक संगठनों को उपलब्ध करवाना |
- चमकी बुखार से ग्रसित परिवारों की सूची तथा उससे संबंधित आवश्यक विवरणी का संधारण |
- विभिन्न सामुदायिक संगठनों के स्तरों पर सम्पादित होने वाले गतिविधियों का अनुश्रवण और आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान करना | इसके लिए BPIU को पहले से अनुमोदित 10 दिनों के अलावा अतिरिक्त 10 दिनों के लिए वाहन का प्रावधान रहेगा |
- चमकी बुखार से संबंधित साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला को प्रेषित करना |

(D) DPCU स्तर पर किये जाने वाले कार्य :-

- सभी जिला स्तरीय प्रबंधक एवं संबंधित प्रखंड परियोजना प्रबंधक का जिला स्तर पर चमकी बुखार पर एक दिवसीय गैर आवासीय उन्मुखीकरण करना |
- जिला स्तर पर चमकी बुखार से संबंधित लीफलेट (One pager) का मुद्रण जीविका की खरीददारी नियमावली के अनुसार सुनिश्चित करना | संबंधित जिले के सभी प्रखंड (पूर्व से AES प्रभावित प्रखंड और शेष बाकी प्रखंड) अंतर्गत सभी स्वयं सहायता समूहों और संबंधित कैडरों की संख्या के अनुसार एक-एक प्रति का मुद्रण करवाकर BPIU को उपलब्ध करवाना |
- यदि जिला प्रशासन द्वारा पर्याप्त मात्रा (समूह और कैडरों के संख्या के अनुरूप) में लीफलेट उपलब्ध कराया गया हो तो इसका मुद्रण नही कराना है | यदि लीफलेट की संख्या कम हो या कोई लीफलेट उपलब्ध नहीं कराया गया हो तो उस परिस्थिति में जीविका के द्वारा निर्धारित संख्या के अनुसार उपलब्ध कराये गये लीफलेट (one pager) का मुद्रण DPCU द्वारा किया जायेगा |
- Specification of leaflet:-
  - Paper size:-A4
  - Thickness:- 90 GSM Glossy paper
  - Printing :- Multicolor back to back i.e. both sided
- जिला स्तर पर चमकी बुखार से संबंधित विभागों से निरंतर समन्वय स्थापित करना और आवश्यक सहयोग प्राप्त करना |
- AES से संबंधित सभी स्तरों पर सम्पादित होने वाली गतिविधियों का अनुश्रवण, आवश्यक सहयोग और समीक्षा करना |
- AES से संबंधित कार्य हेतु DPCU को अतिरिक्त 15 दिनों के लिए अतिरिक्त वाहन रखने का प्रावधान रहेगा |

(E) वित्तीय प्रावधान :-

- चमकी बुखार से संबंधित कैडरों जैसे – CM और CNRP को इस कार्य के लिए देय अतिरिक्त मानदेय राशि का भुगतान वर्तमान बजट शीर्ष जिससे उनका मानदेय HNS कार्य के लिए किया जाता है, उसी से ही किया जायेगा |
- उन्मुखीकरण प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च IBCB (गैर आवासीय) के बजट शीर्ष से किया जायेगा |

- लीफलेट (One pager) के मुद्रण पर होने वाला खर्च - BTDP Component – 3 HNS BCC/NRLM एवं Com-head (KMC – Other Communication Materials and Services) से किया जायेगा |

यह कार्यालय आदेश मुजफ्फरपुर के सभी प्रखंडों, पूर्वी चंपारण के वर्तमान AES प्रभावित 10 प्रखंडो (तेतरिया, मधुबन, मेहशी, चकिया, कल्यानपुर, पकरीदयाल, चिरैया, ढाका, बंजारियाँ एवं मोतिहारी), वैशाली जिला के 2 प्रखंडों पातेपुर एवं वैशाली, सीतामढ़ी जिला के रुन्नीसैदपुर प्रखंड और शिवहर जिला के कल्याणी प्रखंड पर लागू होगा | इसके अलावे किसी जिला/प्रखंड में संबंधित चमकी बुखार के लक्षण आने के बाद उन प्रखंडो में इस कार्यालय आदेश को लागू करने से पूर्व संबंधित DPCU इसके लिए SPMU से अनुमोदन प्राप्त करेंगे |

नोट- उपरोक्त सभी जिले यथा - पूर्वी चंपारण, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर और समस्तीपुर (पूर्व से AES प्रभावित प्रखंड के अलावा शेष प्रखंडों) में भी AES लीफलेट (one pager), Video (Flip Chart), Voice Recording (Flip Chart), जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध IEC materials के विषय पर सामुदायिक संगठन स्तर पर चर्चा और सदस्यों का प्रशिक्षण किया जायेगा, लेकिन अन्य वर्णित कार्य जैसे- 1-15 वर्ष के बच्चों का घर की पहचान कर उनकी सूची बनाना और गृह भ्रमण करना, अत्यंत गरीब परिवारों और SC/ST घरों की पहचान कर सूची बनाना और ग्राम संगठनों द्वारा खाद्यान्न की खरीदारी एवं वितरण करना आदि नहीं किया जायेगा |

यह महत्वपूर्ण होगा की उपर्युक्त प्रखंडों के अतिरिक्त भी किसी प्रखंड में चमकी बुखार के लक्षण संज्ञान में आये तो पूरी तत्परता से वहाँ पर भी सभी आवश्यक गतिविधियाँ प्रारंभ की जाएँ और इसके लिए राज्य स्तर को सुचना देकर मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये |

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के आदेशानुसार

15/3/21

ब्रज किशोर पाठक
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक - BRLPS/Proj-H&N/1672/19/3888 दिनांक – 16.03.2021

प्रतिलिपि : विषयगत प्रबंधक – स्वास्थ्य और पोषण, अधिप्राप्ति और वित्त, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित |

प्रतिलिपि : जिला परियोजना प्रबंधक, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित |

प्रतिलिपि : सभी राज्य परियोजना प्रबंधक/ परियोजना प्रबंधक, जीविका को सूचनार्थ प्रेषित |

प्रतिलिपि : मुख्य वित्त पदाधिकारी /अधिप्राप्ति विशेषज्ञ / राज्य वित्त प्रबंधक, जीविका को सूचनार्थ प्रेषित |

प्रतिलिपि : निदेशक / प्रशासनिक पदाधिकारी, जीविका को सूचनार्थ प्रेषित |

प्रतिलिपि : अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका को सूचनार्थ प्रेषित |

प्रतिलिपि : मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका को सूचनार्थ प्रेषित |

15/3/21

ब्रज किशोर पाठक
विशेष कार्य पदाधिकारी